**प्ररूप- ग**

**सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप**

**[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) और नियम 11(1) और (4 क) देखिए]**

1. ग्राम / ग्राम सभा:

2. ग्राम पंचायत:

3. प्रखंड:

4. जिला:

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परपंरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें) (**संलग्न प्रपत्र-4**)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है। हम, इस ग्रामसभा के निम्नलिखित हस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिससे हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और उन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुरूजीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न हैं। कृप्या ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है) (**संलग्न प्रपत्र-5**)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो (**संलग्न प्रपत्र-16**):

स्थानीय नाम, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अनुसार जंगलो का व्योरा **संलग्न प्रपत्र- 17** में दिया गया है।

7. सीमा से लगते हुए ग्राम:

1.

2.

3.

4.

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

1. साझी बैठक की सूचना (**संलग्न प्रपत्र-10**)

2. साझी बैठक का प्रस्ताव (**संलग्न प्रपत्र-11)**

3. जांच पड़ताल की सूचना (**संलग्न प्रपत्र-9**)

4. जांच पड़ताल एवं भौतिक सत्यापन की रिर्पोट (**संलग्न प्रपत्र-12**)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची:

1. दो बुज़ुर्ग व्यक्तियों के कथन (**संलग्न प्रपत्र-6**)

2. वन बन्दोवस्त की नकल (**संलग्न प्रपत्र-6**)

3. अन्य साक्ष्य (**संलग्न प्रपत्र-6**)

**अध्यक्ष ग्राम प्रधान**

**वन अधिकार समिति**

**सचिव ग्राम सचिव**

**वन अधिकार समिति**